न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील सं० 8/2022

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामजीलाल जाति रैगर निवासी अम्बेडकर पार्क के पास, रैगरान मौहल्ल दौसा
2. प्रहलाद सिंह पुत्र भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी धौली तहसील राहुवास जिला दौसा
3. भंवरसिंह राजपूत पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी शिक्षक कालोनी, गुप्तेश्वर रोड दौसा।

.... अपीलान्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. रामकिशन पुत्र काल्या
2. हरीशचंद पुत्र काल्या
3. आशा पुत्री काल्या
   समस्त जाति बैरवा निवासी मेहला पाडा, खारी कोठी, दौसा
4. लल्ली उर्फ लाली पुत्री काल्या पत्नि चेतन जाति बैरवा हाल निवासी खेडली तहसील दौसा
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार भांडारेज दिनांक 16.8.2021 जो नामान्तरण सं. 114 ग्राम डगलाव पर पारित किया गया है।

उपस्थित :– 1 :श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलान्टस पक्ष ।
2: श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 की ओर से।
3. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 की ओर से।
4.: श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

–: निर्णय :–

दिनांकः 17.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम डगलाव स्थित भूमि खसरा नंबर 131 रकबा 2.55है0 के विरासत का नामान्तरण संख्या 114 दिनांक 16.8.2021 को उप तहसीलदार भांडारेज ने तस्दीक कर दिया। उप तहसीलदार भांडारेज द्वारा खोले गये विरासत के उक्त नामान्तरण सं. 114 दिनांक 16.8.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगा. 4 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 16:51:48 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम डगलाव की भूमि खसरा नंबर 131 रकबा 2.55है. का खातेदार व काबिज काश्तकार काल्या पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी दौसा था। उक्त काल्या पुत्र रामकुंवार ने अपनी भूमि में योजना बनाकर कॉलोनी काटकर और उक्त कॉलोनी में समस्त प्लॉटों का अपीलांट्स व अन्य लोगों को जरिये इकरारनामा विक्रय कर दिया व मौके पर कब्जा संभला दिया। जिस व्यक्ति को जो प्लॉट विक्रय किया उस पर

....निरंतर 2 पर

उस व्यक्ति का कब्जा है और अपीलांटस को विक्रय किये गये प्लॉटों पर मौके पर अपीलांटस का कब्जा है। उक्त भूमि के किसी एक इंच भूमि पर भी रेस्पों0 सं01 से 4 का कब्जा नहीं है। मौके पर उक्त भूमि पर काफी निर्माणात हो रहे है। नगर परिषद सीमा की पैराफेरी में आने वाली भूमि को अनुसूचित जाति की व्यक्ति आवासीय प्लॉट के रूप में किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय कर सकता है। ऐसा राजस्थान सरकार ने कानून बना रखा है। उक्त भूमि गिरदावरी में आबादी दर्ज है तथा उक्त भूमि के संबंध में नगरपरिषद दौसा ने धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की तब उक्त काल्या के वारिसान ने स्पष्ट लिखित में दिया कि उक्त भूमि को काल्या ने जरिये प्लॉटों के रूप में विक्रय करके प्लॉट काट दिये है तथा उक्त भूमि की 90 बी की कार्यवाही कर दी जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त भूमि के संबंध में धारा 183 बी के तहत केस दर्ज हुआ जिस पर तहसीलदार दौसा ने स्वयं दिनांक 20.12.2019 को निर्णय पारित यिा है जिसमें अंकित किया है कि उक्त भूमि का मूल काश्तकार फोत हो जाने एवं वारिसान के नाम नामान्तरण नहीं खुलने एवं मौके पर भूमि पर कृषिगत कार्य नहीं होने के फलस्वरूप धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मामला नहीं बनता है और यह भी लिखा कि वारिसान ने अपनी सहमति धारा 90 बी की कार्यवाही के लिए दे दी है, उक्त बात लिखकर धारा 183 बी के केस को खारिज किया। कानूनन जब मूल खातेदार अपनी भूमि को प्लॉट काट कर विक्रय कर चुका है और नगरपरिषद दौसा ने धारा 90 बी की कार्यवाही हेतु लिखकर अपनी सहमति दे चुका है तथा मौके पर अपीलान्ट्स व अन्य खरीददारों का अपने-2 प्लॉटों पर कब्जा है तो खातेदार के विरासत का नामान्तरण नहीं खुल सकता था। किन्तु पटवारी हल्का ने उक्त खातेदार काल्या पुत्र रामकुंवार की विरासत का नामान्तरण संख्या 114 ग्राम डगलाव रेस्पो0 सं0 1 से 4 के नाम भरकर पेश कर दिया जिस पर अपीलांटस एवं अन्य प्लॉट के खरीददारों द्वारा ग्राम पंचायत सूरजपुरा में आपत्ति पेश की गई जिस पर ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने दिनांक 5.8.2021 को स्पष्ट यह निर्णय किया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत के आधार पर मौके पर प्लॉट वालों का कब्जा है, पटवारी की रिपोर्ट व बयान है खसरा नंबर 131 के संबंध मे तहसीलदार का फैसला है तथा खातेदारान के वारिसान के बयान है। सहायक कलक्टर दौसा की अदालत का फैसला है, इसलिए नामान्तरण नहीं खोलने के लिए सभी वार्ड पंचों ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 5.8.2021 को ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने पारित किया। उक्त आदेश की कोई अपील नहीं हुई और उक्त आदेश निरस्त नहीं हुआ। इसके बावजूद भी कानून का उल्लंघन करके कानून के विपरीत तरीके से बिना कोई जांच किये बिना व बिना अपीलांट प्रभावित पक्षकार को सुने बिना व ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 5.8.2021 को देखे बिना दिनांक 16.8.2021 को मात्र यह लिखकर कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व जांच आई.एल.आर. नामान्तरण स्वीकार है और उक्त निर्णय पारित कर दिया, जिसकी अपीलान्ट्स को कतई जानकारी नहीं थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भांडारेज के नामां0सं0 114 ग्राम डगलाव पारित आदेश दिनांक 16.8.2021 विधि विरूद्ध प्रकिया [illegible] के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार [illegible] को बिना सुनवायी किये व सबूत का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत के आधार पर मौके पर प्लॉट वालों का कब्जा है, पटवारी की रिपोर्ट व बयान है खसरा नंबर 131 के संबंध मे तहसीलदार का फैसला है तथा खातेदार के वारिसान के बयान है। सहायक कलक्टर दौसा की अदालत का फैसला है, इसलिए नामान्तरण नहीं खोलने के लिए सभी वार्ड पंचों ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय बहाल था

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:48 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 3 पर

तथा अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही हुआ था, तो कानूनन जब तक ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त नहीं हो जाता है तब तक अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरण स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 5.8.2021 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पर गौर नहीं करके और बिना अपना विवेक का प्रयोग किये सरसरी तौर पर मात्र नामान्तरण स्वीकार किया जाकर कानूनी गलती की है। जब कानूनन खातेदार काल्या अपनी संपूर्ण भूमि को प्लॉट काटकर विक्रय कर चुका था तथा धारा 90 बी लैंड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही करने के लिए लिखित में दे चुका था तथा खातेदार काल्या के वारिसान भी 90 बी की कार्यवाही करने हेतु लिखित में दे चुके थे तथा तहसीलदार जी स्वयं ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2019 में उक्त समस्त तथ्यों का उल्लेख किया था, किन्तु इन सब तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरण तस्दीक करके कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जांच किये बिना निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भांडारेज दिनांक 16.8.2021 जो नामां0 संख्या 114 ग्राम डगलाव पर पारित किया गया है, की अपीलांट को जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलांट प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस दिये बिना व बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामा. संख्या 114 दिनांक 16.8.2021 जो कि उप तहसीलदार भांडारेज ने वाके ग्राम डगलाव पर पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट्स के पिता काल्या की वाके ग्राम डगलाव में कृषि भूमि खसरा नंबर 131 रकबा 2.55है0 स्थित है। उक्त भूमि की किस्म आज भी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये भूमि का सवर्ण व्यक्तियों को बेचान नहीं किया जा सकता है। अपीलांट संख्या 02 व 03 सवर्ण जाति के व्यक्ति है जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये इकरारनामें के आधार पर क्रय की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है जिसके द्वारा नगरपालिका/नगर परिषद के पैराफेरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा भूखंड क्रय किया जा सके। अपीलांट संख्या 02 व 03 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता काल्या द्वारा कोई विक्रय पत्र या इकरारनामा अपीलाटस को नहीं किया गया है। कथित इकरारनामा फर्जी, कूटरचित व बनावटी है जिसके आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट्स ने अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र फर्जी, कूटरचित इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है ना ही अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील स्वयं द्वारा कथित इकरारनामे को आधार बनाकर प्रस्तुत की है जबकि अपीलाधीन नामान्तरण रेस्पो0 के पिता की विरासत का नामान्तरण है। जबकि अपीलांट्स उक्त विरासत के नामान्तरण में पक्षकार ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:48 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 4 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है। ऐसी दशा में अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। किन्तु अपीलांट्स द्वारा उक्त उनवानी अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही इस आशय की अनुमति माननीय न्यायालय से प्राप्त की गई है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पिता की विरासत के नामान्तरण खोले जाने के विरूद्ध उक्त अपील कथित इकरारनामे को आधार बनाकर इकरारनामे के आधार पर अपने अधिकार सृजित होना बताकर अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त कथित इकरारनामा राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार बतौर साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय को उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। यदि अपीलांट्स कोई इकरारनामा बताते हैं तो उन्हें इकरारनामे के आधार पर सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। राजस्व न्यायालय को इकरारनामे के आधार पर किसी भी प्रकार के प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर बेचान हो चुका है एवं विभिन्न क्रेतागण के हक में नामान्तरण भी खुल चुके है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त कराये बिना अपीलांटस को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांटस उक्त नामा0 अपील के जरिये कथित इकरारनामा के आधार पर पंजीकृत दस्तावेज को प्रभावहीन करना चाहता है, जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिवक्ता रेस्पो. सं02 की ओर से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.10.2021 की छाया प्रति पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं.1 द्वारा केता रेवडराम बैरवा के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया है जिसमें अपीलांट संख्या 3 गवाह के रूप में अंकित है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलांट को उक्त विषय की पूर्ण जानकारी थी। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि जब ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा दिनांक 5.8.2021 को नामान्तरण नहीं खोले जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया जा चुका था, तो उस नामान्तरण की सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त कराये बिना उस नामान्तरण को तस्दीक किया गया है जो उप तहसीलदार भांडारेज ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामा0 तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 2 व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे ज्ञात होता है कि ग्राम डगलाव स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 131 रकबा 2.55है. का विरासत का नामान्तरण पटवारी हल्का सूरजपुरा द्वारा दिनांक 26.7.2021 को भरा जाकर दिनांक 27.7.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक सूरजपुरा द्वारा जांच की गई है। उक्त नामान्तरण पंजिका दिनांक 5.8.2021 को ग्राम पंचायत सूरजपुरा में कोरम में पेश होने पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 8 के द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायत के [illegible] पर प्लॉट वालों कर कब्जा होना व तहसीलदार दौसा का फैसला हो[illegible]लय सहायक कलक्टर दौसा का फैसला होने से सर्वसम्मति से [illegible] का निर्णय पारित किया गया है। तत्पश्चात उप तहसीलदार भांडारेज ने [illegible] को उक्त विरासत का नाामन्तरण स्वीकार किया है। [illegible] सूरजपुरा द्वारा नामान्तरण नहीं खोले जाने बाबत निर्णय पारित कर दिया गया था तो उप तहसीलदार भांडारेज ने उक्त नामान्तरण को बिना सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये व निरस्त कराये बिना तस्दीक किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। उप तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:48 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 5 पर

भांडारेज द्वारा नामान्तरण जो कि ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा निर्णित कर दिया गया था जो कि प्रभावी था, तो उक्त नामान्तरण को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये बिना व अपाप्त कराये बिना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया गया है। इस प्रकार उप तहसीलदार भांडारेज ने नामान्तरण तस्दीक किये जाने में घोर अनियमितता बरती गई है। उप तहसीलदार भांडारेज के उक्त कृत्य के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति संस्थापन शाखा, कलैक्ट्रेट दौसा को भेजकर तत्कालीन उप तहसीलदार भांडारेज के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश प्रदान किये जावें। रेस्पोडेन्टस प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 114 जिस पर ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा दिनांक 5.8.2021 को निर्णय पारित किया गया है, को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। उप तहसीलदार भांडारेज द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय जो कि ग्राम डगलाव के नामान्तरण संख्या 114 पारित किया गया है, को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त 2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:48 IST
Reason: SelfAttested